**संख्या-245/47-का-3-2025-13/1/2014**

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यगण को रू0 2,05,400/- प्रतिमाह नियत वेतन संदत्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-198/अधि-आयोग/2024-13/5(4)/2006-2015, दिनांक 15.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान रू0 2,05,400/- प्रतिमाह संदत्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या-2952/47-का-3-2014-13/1/2014, दिनांक 24.12.2014, शासनादेश संख्या-15/2016/786/47-का-3-2016-13/1/2014, दिनांक 29.04.2016, शासनादेश संख्या-744/47-का-3-2018-13/1/2014, दिनांक 01.06.2018 एवं शासनादेश संख्या-464/47-का-3-2020-13/1/2014, दिनांक 11.06.2020 द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यगण को स्वीकृत किये गये वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्यगण के समान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यगण का प्रतिमाह नियत वेतन रू0 1,82,200/- से बढाकर रू0 2,05,400/- प्रतिमाह संदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्यगण के समान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यगण का प्रतिमाह नियत वेतन रू0 1,82,200/- से बढाकर रू0 2,05,400/- प्रतिमाह संदत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। शासनादेश दिनांक 24.12.2014, 29.04.2016, 01.06.2018 एवं 11.06.2020 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-5-1-X-2025-26, दिनांक 03.04.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

**संख्या-245/47-का-3-2025, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

I. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
II. महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज।
III. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
IV. वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-5
V. वित्त सामान्य अनुभाग-1/2
VI. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
VII. संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
VIII. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।